झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001
प्रेस विज्ञप्ति

सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना।

पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (असैनिक/यांत्रिक) विज्ञापन संख्या–06/2015 (सीधी भर्ती) एवं विज्ञापन संख्या–07/2015 (बैकलॉग नियुक्ति) के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जो पूर्व में प्रकाशित उक्त विज्ञापन के विरूद्ध ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं, वे पुनः विज्ञापन संख्या–06/2015 एवं विज्ञापन संख्या–07/2015 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हत्ता से संबंधित सूचना भरेंगे। इसके लिये ऑनलाईन आवेदन का लिंक **दिनांक–01/02/18 से दिनांक–17/03/18 के अपराह्न 5:30** बजे तक खुला रहेगा।

ii. आवेदक निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवदेन पत्र के Downloaded Copy के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न कर केवल हाथों–हाथ/स्पीड–पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर, रोड, राँची–834001** के पते पर **दिनांक–27/03/18 के अपराह्न 5:00** बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अंक–पत्र।
2. तकनीकी डिग्री से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक–पत्र (B.Tech/B.E. Or Diploma from Indian Engineering College) ।
3. झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत अद्यतन (दिनांक–01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि में निर्गत) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र–I में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए तथा विहित प्रपत्र–II में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग (BC-II) के अभ्यर्थियों के लिए (क्रीमी लेयर रहित)।
4. सरकारी सेवक के लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। (अगर लागू हो)
5. झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी सेवा लगातार तीन वर्षों की पूरी हो चुकी है के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित प्रमाण पत्र। (अगर लागू हो)
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र। (अगर लागू हो)
7. खेल–कूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (अगर लागू हो)
8. भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र । (अगर लागू हो)

iii. लिफाफे के ऊपरी भाग पर सुस्पष्ट अक्षरों में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं Registration No. अंकित करना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv. यह संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची